

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 06/09/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में 06/09/2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री नितिन गुसा, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती पोम्पी दास, सहायक आयुक्त, डीआईसी (DIC), नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, यूपी सरकार के प्रतिनिधि)
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली
5. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) अमित गुसा, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड (NSEZ), (ii) प्रमोद कुमार, सहायक। विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, (iv) सत्य विजय वर्मा, एईई, यूपीपीसीबी, नोएडा और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन की सहायता के लिए उपस्थित थे। समिति। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) 04/08/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

यह सूचित किया गया कि मेसर्स ओनसिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 04/08/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार के लिए एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है जिसे तत्काल बैठक में एक अलग कार्यसूची के रूप में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 04/08/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई अन्य संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, दिनांक 04/08/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) इंडियन सिरैमिक हाउस – एनएसईजेड (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

2.1 श्री समृद्ध अग्रवाल और श्री सुनील अग्रवाल, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदन में कुछ कमियां देखी गई हैं।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को जीएसटी (GST) रिटर्न, डीटीए (DTA) इकाई की खरीद और बिक्री चालान की प्रति प्रस्तुत करने के साथ-साथ कमियों के सुधार और आवेदन में देखे गए दस्तावेजों / सूचनाओं को जमा करने और परियोजना रिपोर्ट में यूरैनियम के उल्लेख पर स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया।

2.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्तावित मदों के लिए एनएसईजेड (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी, बशर्ते कि कोई डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम अनुमोदन आवेदक के उत्तर और फाइल पर प्रस्तावित उत्पाद के आईटीसी (एचएस) कोड की जांच के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच और एलओए (LOA) जारी करने का अधिकार दिया।

(3) ताक् मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड – एनएसईजेड (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

3.1 श्री बी के हरि, निदेशक और श्री अकलुश हरि, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और इकाई के प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदन में कुछ कमियां देखी गई हैं।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को कमियों को सुधारने और संशोधित अनुमानों और सही वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ आवेदन में देखे गए दस्तावेजों / सूचनाओं को जमा करने का निर्देश दिया।

3.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्तावित मदों अर्थात "ईसीजी इलेक्ट्रोड्स (इको कार्डियोग्राफ) (90181920)" के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्रदान किया। अंतिम अनुमोदन फाइल पर आवेदक के उत्तर की जांच के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच और एलओए (LOA) जारी करने का अधिकार दिया।

(4) पॉपुलर कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड – एलओए (LOA) का नवीनीकरण, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना, निदेशकों / शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 श्री जयंत कुमार साहू, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई भौतिक निर्यात नहीं किया है और केवल नियम 53 (ए) के तहत एनएसईजेड (NSEZ) में अन्य इकाइयों को आपूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रस्तावित अतिरिक्त सेवाएं भी उसी ग्राहक के लिए की जाएंगी। श्री साहू ने यह भी बताया कि पहले वे दैनिक आधार पर उत्पादन क्षमता देते थे जबकि अब फॉर्म-एफ1 में वार्षिक क्षमता का उल्लेख किया गया है।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

(1) अनुमोदन समिति ने पांच साल के तीसरे ब्लॉक की शेष अवधि के लिए अर्थात 31/01/2027 तक प्रस्तावित अधिकृत संचालन / उत्पादन क्षमता के लिए फॉर्म-एफ 1 में दी गई इकाई के एलओए (LOA) का नवीनीकरण किया।

(2) अनुमोदन समिति ने एलओए (LOA) में अतिरिक्त सेवा गतिविधियों जैसे 'प्लास्टिक शीट की छपाई (9988) (39 लाख संख्या / वर्ष)' और 'प्लास्टिक कार्ड उत्पादों की पैकिंग (998519)' एलओए (LOA) में इस शर्त के अधीन अनुमोदन दिया कि एसईजेड (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) के अनुसार सेवाओं के बदले भुगतान मुफ्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा।

(3) अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार निदेशकों में परिवर्तन और इकाई के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन पर भी ध्यान दिया और भविष्य में एसईजेड अधिनियम/नियमों के तहत समय पर अनुपालन में सावधान रहने के लिए इकाई को चेतावनी दी।

(4) अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत एपीआर (APR) के आधार पर इकाई के 2020-21 तक के पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) की उपलब्धि की निगरानी की। अनुमोदन समिति ने इकाई को नियम 53(ए) के तहत वास्तविक निर्यात और आपूर्ति के सही विवरण का उल्लेख

करते हुए वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित एपीआर (APR) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को यह भी निर्देश दिया कि सभी लेनदेन को संबंधित मॉड्यूल एसईजेड प्रणाली (Sezonline) में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

(5) आयनिक रिसर्च लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण।

5.1 श्री सतीश मेहता, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लीज रेंट का भुगतान कर रही है।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 31/03/2023 तक एलओए (LOA) को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने आगे मार्च 2023 में होने वाली अपनी बैठक में परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पूर्ण एपीआर (APR) के साथ मामले को आगे के नवीनीकरण के लिए रखने का निर्देश दिया।

(6) कैसिया कौंचर एलएलपी – एलओए (□□□) की समीक्षा।

6.1 श्री प्रमोद खुल्लर, भागीदार और श्री विशाल खुल्लर, प्रतिनिधि, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि उनके पास शिशुओं के लिए कपड़ों के कुछ निर्यात ऑर्डर हैं और उन्होंने एलओए (LOA) की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया।

6.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार इकाई के प्रति 13,31,122/- का पट्टा किराया बकाया है। श्री खुल्लर ने बताया कि वे इस माह में बकाया लीज रेंट के विरुद्ध 3 लाख रुपये जमा करेंगे और शेष को शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाएगी।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के एलओए (LOA) की वैधता को 15/10/2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया और इकाई को मेसर्स शिमर इंटरनेशनल के जीएसटी (GST) को रद्द करने से संबंधित दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करने और बकाया लीज रेंट पर तुरंत 3 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि आगे का नवीनीकरण किराए की जमा राशि और इकाई के प्रदर्शन पर आधारित होगा।

(7) परटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड- (i) एलओए का नवीनीकरण; (ii) किसी भी एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई कंपनी को किसी शिपमेंट के हस्तांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण; (iii) नियमित आधार पर विदेशी मुद्रा के विरुद्ध डीटीए बिक्री की अनुमति देने की अनुमति।

7.1 श्री विशाल खुल्लर, निदेशक और श्री प्रमोद खुल्लर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार इकाई के विरुद्ध 17,18,744/- का पट्टा किराया बकाया है। श्री विशाल खुल्लर ने बताया कि बकाया के तत्काल में लीज रेंट तीन लाख रुपये जमा करा देंगे और शेष राशि का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को बकाया लीज रेंट पर 3 लाख रुपये तुरंत जमा करने और एपीआर/शेयरहोल्डिंग/निदेशकों आदि में परिवर्तन के संबंध में जानकारी सहित लंबित दस्तावेज भी जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को इकाई से, 3 लाख रुपये के भुगतान की प्राप्ति के पश्चात्, फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(8) नोवो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड- कंपनी के निदेशक के परिवर्तन और एलओए (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने की सूचना।

8.1 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि शुरू में 50% हिस्सेदारी श्री विनय अग्रवाल के पास थी और शेष 50% श्रीमती पारुल अग्रवाल के पास थी। हालांकि, 30/09/2013 से विनय अग्रवाल एचयूएफ () की 99.5% हिस्सेदारी है जबकि शेष 0.5% श्रीमती पारुल अग्रवाल के पास है।

8.2 आयकर विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि एक व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) अलग-अलग इकाइयाँ हैं जिनका अलग-अलग पैना है, इसलिए, श्री विनय अग्रवाल और विनय अग्रवाल एचयूएफ (HUF) अलग-अलग संस्थाएँ हैं।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एक एचयूएफ (HUF) के रूप में श्री विनय अग्रवाल और विनय अग्रवाल अलग-अलग संस्थाएँ हैं और ईएम (EM) डिवीजन, एनएसईजेड को "उपरोक्त अवलोकन" हस्तांतरण शुल्क लगाने के संबंध में मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को आगे स्थगित कर दिया और इकाई को इस कार्यालय पत्र दिनांक 17/08/2022 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(9) लक्ष्मण ओवरसीज - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।

9.1 इकाई के मालिक श्री विपुल अग्रवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि आईटीसी (एचएस) कोड 8537 का विवरण गलत है।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, कार्यसूची में एचएस 8537 का सही आईटीसी एचएस (ITC HS) कोड / विवरण प्रस्तुत करने के अधीन, अतिरिक्त 6 भण्डारण वस्तु शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(10) अर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।

10.1 श्री राघव झुनझुनवाला, निदेशक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

10.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद कार्यसूची नोट के अनुसार, इकाई द्वारा सूचित क्रम संख्या 12 और 13 के संशोधित कोड के अनुसार अतिरिक्त भंडारण मदों को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(11) गुजेसवरी अप्पारेल्स - इकाई का नाम बदलकर "मैसर्स सेनिट इंक"; भागीदारों में परिवर्तन; एलओए नवीकरण और प्रदर्शन की निगरानी के साथ अतिरिक्त आईटीसी एचएस (ITC HS) कोड शामिल करने के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

11.1 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को संशोधित भागीदारी विलेख के पंजीकरण के प्रमाण सहित नाम/भागीदारों के परिवर्तन से संबंधित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि इकाई को विभिन्न आईटीसी एचएस कोड्स (ITC HS Codes) की अनुमति दी गई है, हालांकि, अधिकृत संचालन का विवरण केवल "बना बनाया कपड़े" के रूप में दिया गया है।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार इकाई के नाम में परिवर्तन, भागीदारों में परिवर्तन, इकाई के लाभ/हानि शेयर अनुपात नोट किया। यह आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति और प्रमाण सहित संशोधित साझेदारी विलेख का पंजीकरण करने के अधीन है।

(ii) अनुमोदन समिति ने अधिकृत कार्यों में अतिरिक्त आईटीसी (एचएस) कोड शामिल करने के लिए दिनांक 29/06/2022 की अनुमति की पुष्टि की।

(iii) अनुमोदन समिति ने इकाई को एलओए (LOA) के तहत अनुमत प्रत्येक आईटीसी एचएस (ITC HS) कोड का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(iv) अनुमोदन समिति ने पिछली ब्लॉक अवधि के लिए 26 सितंबर 2015 से 25 सितंबर 2020 तक और वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत एपीआर (APR) के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की भी निगरानी की। इसने उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2021 को कोई निर्यात आय प्राप्ति नहीं दिखाई गई है।

(12) डीएलमाज़ एक्सपोर्ट्स - प्रविष्टि संख्या 1008229 दिनांक 10/10/2018 के बिल के भुगतान के प्रेषण के लिए अनुरोध।

12.1 अनुमोदन समिति ने देखा कि एसईजेड नियम 2006 के नियम 29(7) के अनुसार, "एक इकाई अपने द्वारा निर्यात किए गए सामानों का आयात कर सकती है जो या तो विदेशी खरीदार द्वारा दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं या विदेशी खरीदार द्वारा डिलीवरी नहीं ली गई है या जब खरीदार से भुगतान प्राप्त होने के बाद सहमत समय के अनुसार भुगतान नहीं हो रहा है माल की डिलीवरी ली गई है या जब खरीदार फैशन और अन्य बाजार कारकों के कारण उपनियम (2) के तहत प्रक्रिया का पालन करके और निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल वापस करते हैं: - (i) पुनः आयात के समय माल की पहचान स्थापित की जाती है; और (ii) माल को वारंटी अवधि या रखरखाव अनुबंध की वैधता या निर्यात की तारीख से एक वर्ष की अवधि, जो भी बाद में हो, के भीतर पुनः आयात किया जाता है।

12.2 अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि एनएसईजेड सीमा शुल्क से प्राप्त जानकारी के अनुसार, "खरीदार (मैसर्स प्रिवे फाइन ज्वैलरी डीएमसीसी, दुबई) द्वारा खरीदे गए कुल सोने के आभूषणों में से, 454.31 ग्राम सोने के आभूषण (.750 फिटनेस) जिनकी कीमत 37121.55 अमेरिकी डॉलर है, खरीदार द्वारा वापस कर दिए गए थे, जिन्हें बी/ई संख्या 1008229 दिनांक 10.10.2018 के द्वारा, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 29(7) के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के भीतर, पुनः आयात किया गया था।

12.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इकाई ने एसईजेड (SEZ) नियमों के अनुसार निर्यात किए गए आभूषणों का आयात किया है। समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड, के कार्यालय को आरबीआई/इकाई को तदनुसार सूचित करने का निर्देश दिया।

(13) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - प्लॉट नंबर 129जी/64, एनएसईजेड से मेसर्स सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड (FTWZ) सर्विसेज 2006 को संपत्ति और देनदारियों से बाहर निकलने और हस्तांतरण के अनुरोध को वापस लेना।

13.1 श्री अरुण मल्होत्रा, निदेशक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि वे कुछ विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही अपने निर्यात कारोबार को पुनर्जीवित करने की उम्मीद कर रहे हैं। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई 2019-20 से गैर-कार्यात्मक पड़ी है।

13.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को एचएस 2022 नामकरण में अद्यतन आईटीसी एचएस कोड के साथ इकाई के पुनरुद्धार के लिए ठोस व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया। समिति ने नवंबर 2022 में होने वाली अपनी बैठक में इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया।

(14) एसएसए (SSA) इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड - एसईजेड योजना से अंतिम निकास पर विचार करने से पहले प्रदर्शन की निगरानी।

14.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत एपीआर (APR) के आधार पर पिछले और वर्तमान ब्लॉक अवधि 2013-14 से 2018-19 (29.09.2018 तक) और 2018-19 (30.09.18 से) से 2021-22 के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की। 2021-22 तक और उक्त अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2021 को कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

14.2 अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि इकाई ने एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 53ए (एच) के तहत 105.14 लाख रुपये की आपूर्ति की है और इन आपूर्ति के सभी भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त हुए हैं। अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 2(जेड)(iii) के अनुसार, "सेवाओं का अर्थ है ऐसी व्यापार योग्य सेवाएं जो विदेशी मुद्रा अर्जित करती हैं"। इसलिए, 105.14 लाख रुपये की उपरोक्त सेवाएं, जो कि भारतीय रुपये (INR) में भुगतान नियम 53A(h) के तहत की गई हैं, SEZ अधिनियम/नियमों के अनुसार नहीं हैं।

14.3 अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, SEZ अधिनियम 2005 की धारा 2(z) (iii) के उल्लंघन के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत एक SCN जारी करने का निर्देश दिया जो कि नियम 53ए(एच) के तहत सेवाओं की आपूर्ति के एवज में भारतीय रुपये में भुगतान की प्राप्ति के लिए था। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) को एससीएन (SCN) जारी करने और लिखित उत्तर प्राप्त होने/व्यक्तिगत सुनवाई के अनुदान पर निर्णय लेने और फाइल पर अंतिम निकास पर विचार करने का अधिकार भी दिया।

(15) ऑन-ग्राफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी।

15.1 अनुमोदन समिति ने 2020-21 तक जमा की गई एपीआर (APR) के आधार पर पिछली ब्लॉक अवधि यानी 01/11/2016-31/10/2021 के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और इस अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उल्लेखनीय उपलब्धि को नोट किया । अनुमोदन

समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2021 को कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

(16) सॉफ्टेक्स फॉर्म की आवश्यकता से संबंधित मुद्दे।

16.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया था कि कुछ इकाइयों ने सॉफ्टेक्स फॉर्म भरने की आवश्यकता के विरुद्ध प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है, यह तर्क देते हुए कि वे सॉफ्टवेयर विकास या संबंधित सेवाओं में नहीं हैं, लेकिन अन्य सेवाओं जैसे "विपणन अनुसंधान सेवाओं, विज्ञापन सेवाओं, कार्यक्षेत्र पर डिजाइन सेवा आदि का कार्य करते हैं।

16.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आरबीआई (RBI) से ऐसी इकाइयों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और इन सेवाओं के खिलाफ सॉफ्टेक्स (Softex) दाखिल करने की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया।

(17) ला मोडा एलिगेंजा - बकाया लीज रेंट को देखते हुए एलओए (LOA) की समीक्षा।

17.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने लीज रेंट जमा न करने और उसके समक्ष प्रवर्तकों के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया।

17.2 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को स्थगित कर दिया और अगली बैठक में अनुमोदन समिति के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इकाई को सूचित करने का निर्देश दिया। एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को आगे निर्देश दिया कि पीपी अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रह सकती है।

(18) यूयूडीएस मैग्नम एयरो प्राइवेट लिमिटेड - बकाया लीज रेंट को देखते हुए एलओए की समीक्षा।

18.1 इकाई से कोई भी बैठक के लिए उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने लीज रेंट जमा न करने और उसके समक्ष प्रवर्तकों के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया।

18.2 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को स्थगित कर दिया और अगली बैठक में अनुमोदन समिति के समक्ष अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इकाई को सूचित करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को आगे निर्देश दिया कि पी.पी. अधिनियम जारी रह सकता है।

(19) ओनसिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड - अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन।

19.1 श्री हर्षपाल सिंह टक्कर, निदेशक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अगस्त 2022 तक इकाई का प्रदर्शन आशा देने वाला नहीं है।

19.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन के आधार पर अपनी दिसंबर 2022 की बैठक में इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया।

(20) बुलेट इंटरनेशनल - प्लॉट नंबर 187,188,189, एनएसईजेड में मेसर्स जीएसआर इंडस्ट्रीज को भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों का निकास और हस्तांतरण।

20.1 इकाई से कोई भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा निकास औपचारिकताओं के गैर-अनुपालन और परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण को गंभीरता से लिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को फाइल पर निकास संबंधी अनुपालन की जांच करने का निर्देश दिया और इकाई को निर्गम औपचारिकताओं से संबंधित सभी शेष दस्तावेजों को तुरंत जमा करने का निर्देश दिया।

20.2 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को स्थगित कर दिया और अगली बैठक में अनुमोदन समिति के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इकाई को सूचित करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

नितिन

(नितिन गुप्ता)

उप. विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त